फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रुपनगढ, जिला–अजमेर

राजेश कुमार बनाम सहायक अभियंता, सार्व.नि.विभाग, रूपनगढ

किस्म मुकदमा– धारा 88 रा0का0अधि0, 131, 136 रा–भू–राज0 अधि0 नम्बर 24 वर्षः–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.6..2024	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0, 131, 136 रा–भू–राज0 अधि0 के तहत पेश किया। वाद–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 12.7.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
12-7-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 5-10-24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
5-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. प्रति. सं. 1 का सम्मन P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। तामीलशुदा व प्रति. सं. 2 का सम्मन अप्राप्त अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ......8-11-24...... को पेश हो। तामील प्राप्त।	
8-11-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रति वादी सं. 2 की पुनः तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-12-24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
29-11-24	वकील वादी द्वारा प्रकरण को [illegible] करने बाबत तलब करने के [illegible] प्रकरण पत्रावली तलब की गई [illegible] वादी दावा में विड्रो करना जाहिर किया, अत: वादी का वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	राजेश वादपत्र को विड्रो करता हूँ [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:36 IST
Reason: SelfAttested